संख्या:378/ 77-6-16-6(बजट)/ 14

प्रेषक,

कंचन वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 — लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2016

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूंजी/ ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु पिकप द्वारा संचालित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में धनराशि रू. 1,02,10,00,000.00 (एक अरब दो करोड़ दस लाख मात्र) की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि में से रु. 2,40,60,000.00 (रु. दो करोड़ चालीस लाख साठ हजार) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा धनराशि रु. 99,69,40,000.00 (रुपये निन्यान्वे करोड़ उनहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) अवशेष है। अवशेष धनराशि में से रु. 54,20,00,000.00 (रूपये चौवन करोड़ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।

2- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

3- यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

4- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। पिकप द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

5- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

6- धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उसके तत्काल उपभोग की आवश्यकता हो।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त

http://shasanadesh.up.nic.in

आयुक्त उद्योग, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9- उक्त धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त निदेशक उद्योग, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

10- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-30-निवेश/ ऋण के नाम डाला जाएगा।

11- दिनांक 31 मार्च, 2016 को अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-बी-4-40/ दस-2016 में दिनांक 21 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः378(1)/ 77-6-16-6(बजट)/ 14 तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।

2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ को पिकप के पत्र संख्याः आई.एन.सी.-10-19/ आई.आई.पी.एस.-2012/ I 2814 दिनांक 19-02-2016 तथा पत्रांक आई.एन.सी.-10-19/ आई.आई.पी.एस.-2012/ भाग-1/ 3051 दिनांक 14-03-2016 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 4

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभा-6

8- नियोजन अनुभाग-1/ 4

9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in